Additional District Magistrate (City) Ghaziabad

Ref. No ....1191................ Dated 23-05-2022

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- judicial-ngt@gov.in & ngt.filling@gmail.com

Sub: Report of the Joint Committee submitted in compliance to Hon'ble National Green Tribunal (NGT), Principal Bench, New Delhi Order dated 12-01-2022 in OA No-419/2021 108 Super Complex Resident Welfare Association Versus U.P. Pollution Control Board &Ors.

Respected Sir,

With reference to the above subject mentioned above the joint committee inspected the site in compliance of Hon'ble National Green Tribunal order dated 12.01.2022 in OA No-419/2021 108 Super Complex Resident Welfare Association Versus U.P. Pollution Control Board & Ors. Action taken report is hereby submitted for kind perusal and necessary action please.

Enclosure: Joint report.

Yours Sincerely

(Bipin Kumar)
Additional District Magistrate (City)
Ghaziabad

Copy to: District Magistrate, Ghaziabad for information.

Additional District Magistrate (City)
Ghaziabad

Compliance Report

In

Original Application No. 419/2021

108 Super complex resident welfare association

Versus

U.P. Pollution Control Board & Ors.

<u>Order Date – 12.01.2022</u>

Filed on Behalf of:
District Magistrate Ghaziabad

1. **Background**

The applicant has filed an application in Hon'ble Tribunal with regards to encroachment of open space by constructing a Baratghar and shops in a park by removing trees and plants at Sector 16A, Vasundhra, Ghaziabad, UP. Further, Hon'ble Tribunal has constituted a joint Committee comprising of U.P. Awas Evam Vikas Parishad, Ghaziabad and District Magistrate, Ghaziabad, U.P. to look into the matter and take remedial action in accordance with law and furnish an action taken report. Relevant extract of Hon'ble Tribunal's order dated 12.01.2022 has been reproduced hereunder:

"1. Grievance in this application is against encroachment of open space by constructing a Baratghar and shops in a park by removing trees and plants at Sector 16A, Vasundhra, Ghaziabad, UP. According to the applicant, such illegal action has been taken by Respondent No. 5 – Narender Bhardwaj, Bhardwaj House, Prahlad Garhi Village, Ghaziabad, U.P. The applicant has annexed photographs showing illegal encroachments and also complaints filed with the statutory authorities".

2. *"In view of above, we direct a joint Committee of U.P. Awas Evam Vikas Parishad, Ghaziabad and District Magistrate, Ghaziabad to look into the matter and take remedial action in accordance with law. The District Magistrate, Ghaziabad will be the nodal agency for coordination and compliance. The joint Committee may undertake visit to the site and take remedial action within one month. An action taken report may be filed before this Tribunal within two months by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. The joint Committee*

may also put Respondent No. 5 to notice of these proceedings. Respondent No. 5 will be free to file his response, if any, before the next date."

2. **Action taken by the Joint Committee:**

In compliance to the above order dated 12.01.2022, Superintending Engineer, U.P. Awas Evam Vikas Parishad, Ghaziabad vide its letter dated 28.02.2022 sent letter to District Magistrate Ghaziabad to form a joint committee for necessary action, copy of same is annexed as **Annexure-1.**

In continuation of above, District Magistrate, Ghaziabad vide letter dated 06.03.2022 constituted a joint committee comprising following officials:

i. Mr. Shiv Pujan Yadav, Additional Municipal Commissioner, Municipal corporation, Ghaziabad.
ii. Sub- Divisional Magistrate, Sadar, Ghaziabad.
iii. Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad.
iv. Mr. Prashant Vardhan, Executive Engineer, U.P. Awas Evam Vikas Parishad, Ghaziabad

Accordingly, above Joint Committee visited the site in question. Joint Committee found that at present an old temple has been built at the site of the open space displayed as per the layout of the plan at the site under question in Sector-16A, Vasundhara Ghaziabad and a hall has been built on the land adjacent to the temple, which is interconnected. During the inspection, the priest of the temple and the present official of RWA informed that the said hall has been constructed after the old construction in approx year 2016. At present there is no green area and trees etc. available in the said premises.

Further, District Magistrate, Ghaziabad vide letter dated 06.04.2022 called a meeting of the Joint Committee on dated 07.04.2022. In the meeting, Officials of U.P. Awas Evem Vikas Parishad, Ghaziabad informed that all the services of all the parks, open space, roads, drains, sewer and water supply etc. of sector-16 of Vasundhara Yojna have been handed over to the Municipal Corporation Ghaziabad on dated 30.10.2002 and the site in question is also handed over to the Municipal Corporation Ghaziabad in the form of open space. According to Section-41 of Awas Vikas Parishad Adhiniyam-1965, after handing over of services of the scheme and open space etc. to Municipal corporation, Ghaziabad, the work of its supervision and maintenance is to be done by the Municipal Corporation, Ghaziabad. **Minutes of meeting is attached as Annexure-2.**

In view of above, District Magistrate Ghaziabad vide letter dated 08.04.2022 issued letter to Municipal Commissioner, Ghaziabad to take necessary action in said matter and put-up action taken report as well, copy of same is annexed as **Annexure-3.**

Above interim report is being submitted for kind perusal and necessary action.

(Prashant Vardhan)
Executive Engineer
U.P. Avas Evam Vikas Parishad
Ghaziabad

IS 15700:2018
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, गाजियाबाद वृत्त,
वसुन्धरा काम्प्लैक्स, सैक्टर–16ए, वसुन्धरा, गाजियाबाद
दूरभाष सं0 0120–4133277, ई–मेल–circle7@upavp.com
भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

पत्र सं0 729 / LEG-1 / 101 दिनाँक– 28/02/2022

सेवा में,

जिलाधिकारी(म0)
जनपद–गाजियाबाद।

विषयः-- O.A no 419/2021 along with order passed by Hon'ble NGT. के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक,108 सुपर कॉम्पलैक्स रेजीडेन्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन,906,सेक्टर–16ए/बी, वसुन्धरा, गाजियाबाद का आवास आयुक्त(म0)उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,लखनऊ को सम्बोधित पत्र दिनांक 25.01.2022 के साथ संलग्न राष्ट्रीय हरित अभिकरण में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन नं0–419/2021 में पारित आदेश दिनांक 12.01.2022 के अनुपालन में अधीक्षण अभियन्ता(प्रो0) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ के पत्रसंख्या–204/सी–7/सामान्य/2019 दिनांक 28.01.2022 के द्वारा विधि सम्मत् प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त ऑरिजनल एप्लीकेशन नं0–419/2021 मैसर्स 108 सुपर कॉम्पलैक्स रेजीडेन्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन आवेदक बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में राष्ट्रीय हरित अभिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.01.2022 में निर्देशित किया गया है कि "we direct a joint committee of U.P. Awas Evam Vikas Parishad, Ghaziabad District, Magistrate, Ghaziabad to look into the matter and take remedial action in accordance with law. The District, Magistrate, Ghaziabad will be the nodel agency for coordination and compliance. The joint committee may undertake visit to the site and take remedial action within one month. An action taken report may be filed before this Tribunal within two months by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of image PDF. The joint committee may also put Respondent no. 5 to notice of these proceedings. Respondent no. 5 will be free to file his response, if any, before the next date. The applicant may serve a set of papers on U.P. Awas Evam Vikas Parishad, Ghaziabad District, Magistrate, Ghaziabad and Respondent No. 5 and file an affidavit of service within one week. A Copy of this order be forwarded to U.P. Awas Evam Vikas Parishad, Ghaziabad and District Magistrate, Ghaziabad by e-mail for compliance. List for further consideration on 19.04.2022".

अतः उपरोक्त वर्णित आद्रेश के कम में आपसे अनुरोध है कि कृपया संयुक्त कमेटी गठित करने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही/दिशा–निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– आदेश दिनांक 19.04.2022 एवं O.A no 419/2021 की छायाप्रति।

भवदीय,

(राकेश चन्द्र)
अधीक्षण अभियन्ता

पृ0संख्याः– /उक्त/ तददिनांकः–उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–

1. अधीक्षण अभियन्ता(प्रो0) अभियंत्रण अनुभाग, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता,निर्माण खण्ड गाजियाबाद–03,उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी(म0) गाजियाबाद से व्यक्तिगत सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता

Annexure - 2

पत्रांक- 610 G-4/14 दिनांक-08-4-2022

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 संख्या 419/2021, 108 सुपर काम्पलैक्स रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिऐशन बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.01.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध मे जिलाधिकारी, गाजियाबाद की अध्यक्षता मे दिनांक 07.04.2022 को अपरान्हन 01:30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार, गाजियाबाद मे सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 संख्या 419/2021, 108 सुपर काम्पलैक्स रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिऐशन बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.04.2022 को पारित आदेश का मुख्य अंश निम्नवत है:-

"..........In view of above, we direct a joint Committee of U.P. Awas Evam Vikas Parishad, Ghaziabad and District Magistrate, Ghaziabad to look into the matter and take remedial action in accordance with law. The District Magistrate, Ghaziabad will be the nodal agency for coordination and compliance. The joint Committee may undertake visit to the site and take remedial action within one month. An action taken report may be filed before this Tribunal within two months by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. The joint Committee may also put Respondent No. 5 to notice of these proceedings. Respondent No. 5 will be free to file his response, if any, before the next date...."

उपरोक्त के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी, गाजियाबाद के कार्यालय आदेश संख्या 721/एस0टी0-ए0डी0एम0(सिटी)/2022 दिनांक 06.03.2022 द्वारा प्रश्नगत स्थल के निरीक्षण हेतु निम्नानुसार समिति गठित की गयी:-

1. श्री शिव पूजन यादव, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
2. उपजिलाधिकारी, सदर, गाजियाबाद।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।
4. श्री प्रशान्त वर्धन, अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वसुन्धरा, गाजियाबाद।

उपरोक्त समिति द्वारा दिनांक 23.03.2022 को प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण किया गया। तत्क्रम मे आज दिनांक 07.04.2022 को उक्त प्रकरण के सम्बन्ध मे अग्रिम आवश्यक कार्यवाही निर्धारित किये जाने हेतु अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता मे बैठक आहूत की गयी, जिसमे निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. अपर जिलाधिकारी (नगर), गाजियाबाद।
2. उपजिलाधिकारी, सदर, गाजियाबाद।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।
4. श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वसुन्धरा, गाजियाबाद।

बैठक के दौरान उपजिलाधिकारी, सदर, गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि निरीक्षण दिनांक 23.03.2022 मे पाया गया कि सेक्टर-16ए वसुन्धरा, गाजियाबाद मे प्रश्नगत स्थल पर ले-आऊट के अनुसार प्रदर्शित ओपन स्पेस के स्थल पर वर्तमान मे एक पुराना मन्दिर बना है तथा मन्दिर से सटी भूमि पर एक पक्का हॉल बना हुआ है, जो कि आपस मे जुड़े हुए है। निरीक्षण के दौरान मन्दिर के पुजारी तथा आर0डब्लू0ए0 के पदाधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त हॉल का निर्माण पुराने मन्दिर

निर्माण के बाद वर्ष–2016 मे कराया गया है। उक्त स्ट्रक्चर के तीनों ओर सड़क, एक मदर डैरी बूथ तथा एक ओर परिषद की अन्य भवन स्थित है। वर्तमान मे उक्त परिसर मे कोई ग्रीन एरिया तथा पेड़ आदि उपलब्ध नही है।

बैठक के दौरान उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि वसुन्धरा योजना के सेक्टर 16 के समस्त पार्क ओपन स्पेस, सड़के, नालियॉ, सीवर तथा जल आपूर्ति समस्त सेवाऐं नगर निगम, गाजियाबाद को दिनांक 30.10.2002 को हस्तगत की जा चुकी है तथा प्रश्नगत स्थल भी ओपन स्पेस के रूप मे हस्तान्तरित है। परिषद अधिनियम, 1965 की धारा 41 के अनुसार योजना की विकास सेवाऐं तथा पार्क/ओपन स्पेश आदि हस्तगत होने के उपरान्त इनकी देख–रेख, अनुरक्षण आदि का कार्य नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा ही किया जाना है।

उक्त सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा निर्देशित किया गया कि चूँकि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा 41 के अनुसार योजना की विकास सेवाऐं तथा पार्क/ओपन स्पेश आदि हस्तगत होने के उपरान्त इनकी देख–रेख, अनुरक्षण आदि का कार्य नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा ही किया जाना है। अतः उक्त प्रकरण के सम्बन्ध मे अग्रिम आवश्यक कार्यवाही नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा किया जाना अपेक्षित है। उक्त बैठक मे नगर निगम, गाजियाबाद का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नही था। बैठक के दौरान उक्त प्रकरण के सम्बन्ध मे नगर निगम, गाजियाबाद के नामित अधिकारी को दूरभाष पर अवगत करा दिया गया है।

कार्यवाही अपेक्षित–नगर निगम, गाजियाबाद।

अन्त मे सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हुए बैठक का समापन किया गया।

(राकेश कुमार सिंह) 8/04/22
जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

पत्रांक 610/2022 दिनांक 08-4-2022

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
2. अपर जिलाधिकारी (नगर), गाजियाबाद।
3. उपजिलाधिकारी, सदर, गाजियाबाद।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।
5. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड गाजियाबाद–03, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वसुन्धरा, गाजियाबाद।

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE GHAZIABAD

फोन नम्बर (0120) 2821616, 2820106, 2828798 (फैक्स)

संख्या– ११/भा /एस0टी0–डी0एम0/2022 दिनांक– 06 अप्रैल, 2022

1– श्री शिव पूजन यादव, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
2– उप जिलाधिकारी, सदर।
3– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।
4– श्री प्रशान्त वर्धन, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन वाद संख्या 419/2021 सुपर कॉम्प्लेक्स रेजिडेन्ट्स वैलफेयर एसोसिएशन बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.01.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में दिनांक 07.04.2022 को अपरान्ह 01:30 बजे अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आहूत की गयी है। आपसे अनुरोध है कि उक्त बैठक में स्वयं प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

(राकेश कुमार सिंह),
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

14/3/22

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

पत्रांकः— 721 /एस0टी0—ए0डी0एम0(सिटी)/2022 दिनांकः 06 —03—2022

—ःकार्यालय आदेशः—

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विचाराधीन वाद संख्या—419/2021, 108 सुपर कॉम्पलैक्स रेजीडेन्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में दिनांक 12.01.2022 को निम्न आदेश पारित किये गये हैः—

In view of above, we direct a joint Committee of U.P. Awas Evam Vikas Parishad, Ghaziabad and District Magistrate, Ghaziabad to look into the matter and take remedial action in accordance with law. The District Magistrate, Ghaziabad, will be the nodal agency for coordination and compliance. The joint Committee may under take visit to the site and take remedial action within one month. An action taken report may be filed before this Tribunal within two months by email at judicial ngay in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDP. The joint Committee may also put Respondent No. 5 to notice of these proceedings. Respondent No. 5 will be free to file his response, if any, before the next date.

उपरोक्त के अनुपालन हेतु संयुक्त समिति निम्नानुसार गठित की जाती हैः—

01— श्री शिवपूजन यादव, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम गाजियाबाद।

02 उप जिलाधिकारी, सदर, गाजियाबाद

03— क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गाजियाबाद।

04— श्री प्रशान्त वर्धन, अधि0अभि0, आवस एव विकास परिषद वसुन्धरा

उपरोक्त संयुक्त समिति प्रश्नगत स्थल निरीक्षण करते हुए मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.01.2022 के अनुपालन में तीन सप्ताह के अन्दर अपनी आख्या अपर जिलाधिकारी (नगर) /नोडल अधिकारी गाजियाबाद को प्रस्तुत करेगी।

संलग्नकः—यथोपरि।

(राकेश कुमार सिंह) 06/3/22
जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

ACE

प्रतिलिपिः—

1— नगर आयुक्त, नगर निगम गाजियाबाद।

2— अपर जिलाधिकारी(नगर)/नोडल अधिकारी गाजियाबाद।

2— सम्बन्धित अधिकारीगण को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

(6)

✆ / फैक्स : कार्यालय : 0120-4882201
निवास : 0120-4883283

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम् वृत्त

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद

वसुन्धरा कॉम्पलैक्स, गाजियाबाद।

पत्रांक 2231 /स-14/ 91 दिनांक 30-10-2002

सेवा में,

आवास आयुक्त, (म०),
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद,
१०४ महात्मा गाँधी मार्ग,
लखनऊ।

विषय- वसुन्धरा योजना गाजियाबाद की जन-सेवाएँ नगर निगम, गाजियाबाद को हस्तगत किये जाने के संबधं में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक हैन्डिग ओवर से संम्बन्धित कृपया संलग्न नोट का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसपर योजना की जन-सेवाएँ परिषद की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा नगर निगम, गाजियाबाद के मुख्य अभियंता को हस्तगत कर दी गयी है एवं मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम,गाजियाबाद द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कर दी गयी है।

नगर निगम,गाजियाबाद द्वारा वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद की जन-सेवाएँ दिनांक ३०.१०.२००२ को टेक ओवर कर ली गयी है, नगर निगम, गाजियाबाद दिनांक १.११.२००२ से समस्त सेवाओं का रखरखाव पूर्ण रूप से करेगा।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक २३.१०.२००२ को मुख्यालय पर हुयी स्टाफ बैठक में लिये गये निर्णयानुसार योजना की सेवाओं के हस्तानान्तरण के साथ कार्यरत कर्मचारियों को नगर निगम, गाजियाबाद में हस्तानान्तरित नही किया गया है, संविदा की शर्त भी लागू नही की गयी है एवं रखरखाव का कार्य नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा स्वंय कराया जायेगा। नगर निगम,गाजियाबाद के लिए शासन द्वारा पद सृजित कर दिये जाने के उपरान्त कर्मचारियों के हस्तानान्तरण की कार्यवाही की जायेगी।

योजना की सेवाओं के हस्तानान्तरण हेतु स्वीकृत रूपये- ३४०.०० लाख की धनराशि भी नगर निगम,गाजियाबाद को उपलब्ध करायी जा रही है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सुरेश कुमार)
अधीक्षण अभियंता

पृ०सं० /उक्त/ दिनांक

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

१. मुख्य नगर अधिकारी,नगर निगम,गाजियाबाद।
२. मुख्य अभियंता,उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद,१०४,महात्मा गाँधी मार्ग,लखनऊ।
३. श्री बजरंगी राय ,परामर्शदाता,आवास आयुक्त,(म०),उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद,१०४,महात्मा गाँधी मार्ग,लखनऊ।
४. वित्त नियंत्रक,उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद,१०४, महात्मा गाँधी मार्ग,लखनऊ।
५. अधिशासी अभियंता,निर्माण खण्ड-१६,उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद,गाजियाबाद।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार।

अधीक्षण अभियंता

ALE'S

Diglot Edition

द्विभाषी संस्करण

THE UTTAR PRADESH AVAS EVAM VIKAS PARISHAD ADHINIYAM, 1965

(U.P. Act. No. 1 of 1966)

With ALLIED RULES

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965

(अधिनियम संख्या 1 सन् 1966)

साथ में सम्बन्धित नियमावली

संकलनकर्ता

आर.के.मिश्रा एडवोकेट

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

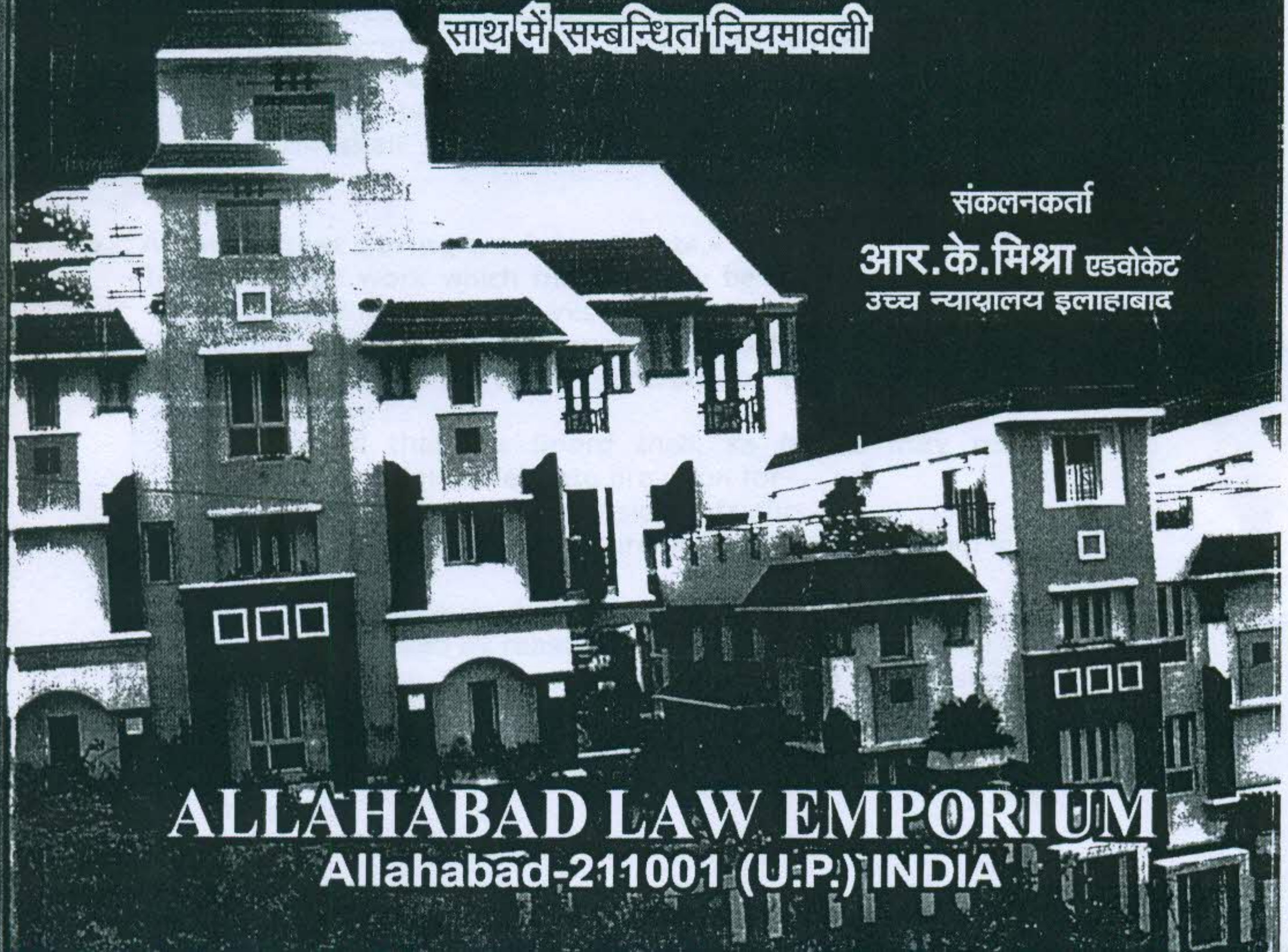

ALLAHABAD LAW EMPORIUM

Allahabad-211001 (U.P.) INDIA

41. Transfer of streets and open spaces to local authority.-

(1) The Board may hand over any street laid-out or altered by and vested in it to the local authority within whose jurisdiction it lies, after giving it one month's notice, when-

(a) any such street has been duly leveled and metalled,

(b) lamp posts necessary for the lighting of such street have been provided, and

(c) water, drains and sewers have been provided in such street, in the manner provided in the scheme.

(2) When any open space for the purposes of ventilation or recreation has been provided by the Board in executing any housing or improvement scheme, the Board may resolve that such space shall, on completion of the scheme be transferred to the local authority concerned, and thereupon notice of the resolution shall be given to such authority.

(3) The local authority may, on receipt of a notice under sub-section(3), make objections to the Board or may require the Board before any such open space is so transferred to enclose, level, turf, drain and lay out such space and provide footpaths and lamp-posts therein. The Board shall consider such objections and requirements and then pass a final resolution reaffirming or modifying the proposal.

(4) Such street or open space shall, upon the expiry of the period of notice or in accordance with the final resolution, as the case may be, vest in, and thenceforth be maintained, kept in repair, lighted and cleansed by, the local authority.

(5) If any difference of opinion arises between the Board and the local authority in respect of any matter referred to in this section, the matter shall be referred to the State Government whose decision thereon shall be final and binding on the Board and the local authority.

42. Arrangement during work in streets.-

(1) When any work which may lawfully be done, is being executed by the Board in any street vested in it, the Board may direct that such street shall, during the progress of such work, be either wholly or partially closed to traffic generally or to traffic of any specified description:

Provided that the Board shall, so far as may resonably be practicable, make adequate provision for-

(a) the passage of or diversion of traffic;

(b) securing access to all premises approached from such street; and

(c) any drainage, water supply, or means of lighting which is interrupted by reasons of the execution of the work.

(2) When any such direction has been give, the Board shall affix in a conspicuous place in or near the street an order prohibiting traffic to the extent so directed, and fix such bars, chains, or post across or in the street as it may think proper for ensuring compliance with the order.

Ann-3

कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद।

पत्रांक 611 G-4/15 दिनांक 08-4-2022

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
गाजियाबाद।

विषयः **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 संख्या 419/2021, 108 सुपर काम्पलैक्स रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिऐशन बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.01.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध मे**

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 संख्या 419/2021, 108 सुपर काम्पलैक्स रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिऐशन बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.01.2022 के अनुपालन मे अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता मे दिनांक 07.04.2022 मे सम्पन्न बैठक में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा अवगत कराया गया कि वसुन्धरा योजना के सेक्टर 16 के समस्त पार्क ओपन स्पेस, सड़के, नालियॉ, सीवर तथा जल आपूर्ति समस्त सेवाएें नगर निगम, गाजियाबाद को दिनांक 30.10.2002 को हस्तगत की जा चुकी है तथा उक्त प्रकरण मे वर्णित प्रश्नगत स्थल भी ओपन स्पेस के रूप मे हस्तान्तरित है। उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा 41 के अनुसार योजना की विकास सेवाऐं तथा पार्क/ओपन स्पेस आदि हस्तगत होने के उपरान्त इनकी देख–रेख, अनुरक्षण आदि का कार्य नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा ही किया जाना है।

अतः उक्त प्रकरण नगर निगम, गाजियाबाद से सम्बन्धित होने के कारण अग्रिम आवश्यक कार्यवाही नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा किया जाना अपेक्षित है। कृपया तदानुसार प्रकरण के सम्बन्ध मे आवश्यक कार्यवाही करते हुए आख्या अद्योहस्ताक्षरी को प्रेषित करने का कष्ट करे, ताकि एक्शन टेकन रिर्पोट मा0 अधिकरण मे निर्धारित समयावधि मे दाखिल की जा सके।

उक्त वाद की सुनवाई की अग्रिम तिथि दिनांक 19.04.2022 नियत है।

(राकेश कुमार सिंह) 07/04/22
जिलाधिकारी
गाजियाबाद।